

कार्यालय आदेश

मुख्य सचिव उ०प्र० शासन पंचायतीराज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1040/33-3-2021-116/2020 दिनांक 22.06.2021 के बिन्दु संख्या-16 में यह उल्लिखित किया गया है कि ब्लॉक स्तर पर सामग्री रिकवरी सुविधा/प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई संग्रहण तथा एकत्रीकरण केंद्रों से प्लास्टिक अपशिष्ट को ब्लॉक स्तर पर ले जाना, जहां प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र (PWMC) स्थापित किए जाएंगे। इस केंद्र के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत की गयी मार्ग निर्देशिका में 16 लाख रुपये प्रति ब्लॉक के हिसाब से धनराशि प्राविधानित की गयी है, जिसका उपयोग किया जाएगा। ऐसे केंद्रों में एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा को घटाने के लिए एक कटाई और बेलिंग मशीन होगी। पुनः चक्रित कटे हुए छोटे टुकड़ों तथा बेल्ट प्लास्टिक कचरे का सड़क निर्माण में उपयोग किया जा सकता है (Ref-using plastic in construction of roads in the Indian Road Congress Code SP: 98-2013) अथवा सीमेंट उद्योगों में सह-प्रसंस्करण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट स्थापित किये जाने के निर्देश के क्रम में जनपद की 02 ग्राम पंचायतों क्रमशः ग्राम पंचायत-टेंवा, विकास खण्ड-मंझनपुर एवं ग्राम पंचायत-पुरखास विकास खण्ड-नेवादा में: 01-01 पी०डब्ल्यू०एम०सी० निर्मित कराया जा चुका है, जिसके संचालन एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-4002/33-3-2022 दिनांक 24 नवम्बर, 2022 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित हो रहे प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु निम्नवत् कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं:-

1. प्रत्येक राजस्व ग्राम में प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण/एकत्रीकरण के लिये सेग्रीगेशन बिनस, प्लास्टिक बैक्स आदि स्थापित कराया जाए तथा ग्राम पंचायत स्तर पर निर्मित कराये जा रहे आर०आर०सी० सेन्टर में एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण किया जाए।
2. प्रत्येक माह में कम से कम 01 बार विशेष अभियान चलाकर सभी स्थानों से जहां प्लास्टिक अपशिष्ट दृश्यमान हो, को एकत्र कर संग्रहण केंद्र पर पहुंचाया जाए।
3. सामानान्तर ही विकास खण्ड स्तर पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना की जाए, जिसके लिये विकास खण्ड अथवा विकास खण्ड अंतर्गत आने वाले किसी गांव को भी चिन्हित किया जा सकता है। यूनिट की स्थापना के लिये आवश्यकतानुसार उचित स्थल का चयन करते हुए 01 शेड का निर्माण कराया जाए, जिसमें एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट को स्टोर किया जा सके तथा अपशिष्ट के रिसाइकिल/री-यूज हेतु मशीनरी जैसे- श्रेडिंग, बेलिंग, डस्ट रिमूवर वेथिंग मशीन, वाहन के आने-जाने आदि के लिये पर्याप्त स्थान की व्यवस्था हो।
4. प्रत्येक विकास खण्ड पर कबाड़ीवाला, निजी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेन्टर, औद्योगिक इकाईयां जो प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करती हों, की सूची तैयार की जाए, जिससे कि फारवर्ड लिंकेज की सुगम व्यवस्था बन सके।
5. फारवर्ड लिंकेज हेतु निकटतम उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार ही यूनिट पर मशीनरी का चयन किया जाए।

6. विकास खण्ड स्तर पर निर्मित/स्थापित किये जाने वाले प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में सभी गांव का क्लस्टर बनाते हुए गांवों से संग्रहित प्लास्टिक अपशिष्ट को यूनिट तक पहुंचाने के लिये मासिक किराये पर कलेक्शन वाहन की व्यवस्था की जाएगी।
7. कलेक्शन वाहन का रूप प्लान इस प्रकार से बनाया जाएगा कि प्रत्येक दिन 03 से 04 ग्राम पंचायतों के प्लास्टिक अपशिष्ट को एकत्रित कर यूनिट तक पहुंचाया जा सके। इस व्यवस्था से प्रत्येक ग्राम पंचायत का क्रम लगभग 20 दिवस से 01 माह के बाद द्वितीय बार कलेक्शन के लिये आयेगा। इस दौरान ग्राम पंचायत के आर०आर०सी० सेन्टर में आवश्यक मात्रा में प्लास्टिक अपशिष्ट

उक्त निर्देशों में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद की 02 ग्राम पंचायतों में निर्मित कराये गये

क्र०सं०	पी०डब्ल्यू०एम० केन्द्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	केन्द्र पर प्लास्टिक कचरा उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित दिवस
1	2	3	4
1	पी०डब्ल्यू०एम० केन्द्र-टेटा	मंझनपुर की समस्त ग्राम पंचायते।	सोमवार एवं बुधवार
2		सरसवा की समस्त ग्राम पंचायते।	मंगलवार
3		सिराथू की समस्त ग्राम पंचायते।	शुक्रवार
4		कड़ा की समस्त ग्राम पंचायते।	बृहस्पतिवार एवं शनिवार
5	पी०डब्ल्यू०एम० केन्द्र-पुरखास	नेवादा की समस्त ग्राम पंचायते।	सोमवार एवं बुधवार
6		चायल की समस्त ग्राम पंचायते।	मंगलवार
7		मूरतगंज की समस्त ग्राम पंचायते।	शुक्रवार
8		कौशाम्बी की समस्त ग्राम पंचायते।	बृहस्पतिवार एवं शनिवार

अतः उक्त आदेश का समस्त सम्बन्धितों द्वारा पालन सुनिश्चित किया जाये।

(राजेश कुमार राय)
जिलाधिकारी,
कौशाम्बी

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. मिशन निदेशक महोदय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्राम) उत्तर प्रदेश लेखनऊ की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी।
3. उप निदेशक (पं०), प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
4. जिला पंचायतराज अधिकारी, कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्य का नियमित अनुश्रवण करते हुए कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद-कौशाम्बी को अनुपालनार्थ।
6. समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं०) जनपद-कौशाम्बी को अनुपालनार्थ।
7. समस्त ग्राम प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करे द्वारा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जनपद-कौशाम्बी।

जिलाधिकारी,
कौशाम्बी